

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 89 / 2026

अनवान :-

1. संदीप सिंह पुत्र रामलोक सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द हाल चक साहिबचंद त० गिदडबाह जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब त० टिब्बी ।

वादी


बनाम्

1. हरभगवान सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. नक्षत्रसिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
3. गुरदेव कौर पत्नी हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबचंद त० गिदडबाह जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब ।
4. कर्मजीत कौर पुत्री हरबंस सिंह पत्नी मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासी कोटचेत सिंह अबलू त० व जिला बठिण्डा ।
5. समनदीप कौर पुत्री हरबंस सिंह पत्नी गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी कोट चेतसिंह अबलू त० व जिला बठिण्डा ।
6. जसप्रीत कौर पत्नी रामलोक सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबचंद त० गिडबाह जिला श्रीमुक्तसर पंजाब ।
7. रवनीत कौर पुत्री रामलोक सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबचंद त० गिदडबाह जिला श्रीमुक्तसर साहिब ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी सुभाष गर्ग व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम से चक नं० 5 जीजीआर के खाता सं० 180/55 के प०न० 202/ 304 मु० 62 किलानं० 14/.253, 15/.190 कुल 0.443 है० कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं० 6 व 7 का .037 है० ब०हि०ब० तथा प्रतिवादी सं० 3,4,5 प्रत्येक को 0.037 है० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चक नं० 5 जीजीआर के खाता सं० 180/55 मे से प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 का हिस्सा कम किया जावे । यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 17/11/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सह (सत्यनारायण)
टिब्बी
R.A.